उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या: 135/2024/ई0पी0सी0-169/35-1-2024
लखनऊः दिनांकः 08 जुलाई, 2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में ई०पी०सी० मोड के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिये तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन हेतु अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-07-शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन हेतु-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत रु0-2000.00 लाख (रुपए बीस करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आहरण-वितरण अधिकारी, नियोजन सचिव शाखा के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन निर्गत की जायेगीः-

1. विभिन्न मदो के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस- 16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय में व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

6. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार किया जायेगा और जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी। उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024- 231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

3. उक्तानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियोजन विभाग के आय-व्ययक में ई०पी०सी० मोड के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिये तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन हेतु अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- "4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-07- शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन हेतु-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे है।

(पुलकित खरे)
विशेष सचिव।

संख्या-135/2024/ ई0पी0सी0-169(1)/35-1-2024 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. आहरण-वितरण अधिकारी, नियोजन सचिव शाखा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, 30प्र0 शासन।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश शासन।
8. अनुभाग अधिकारी, नियोजन (लेखा) अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आजा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।